App-A
Cm-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ———— मुकाम ————

गणेश लाल बनाम रामा

किस्म मुकदमा ———— नं. 07 सन 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
10/4/2026	नील तरफी उपस्थित। अपील संख्या 172 के तामील लेने के समय किया। तामील मानी गयी है। कोई सूचना के उपस्थित नहीं। पक्ष-पक्ष साक्ष्य लगाई गई। उपस्थित नहीं एक तरफा कार्यवाही की जाती है। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा दलाखेड़ा की आ.भू.नं. 1019/7, 15 कुल कि.ता. 02 कुल रकबा 0.66 हेक्टेयर स्थित है जो कि अपील संख्या 172 के पक्ष पर दर्ज रेकर्ड है। उक्त भूमि को रामलाल, श्याम उर्फ भोलू पिता किशना गवली के 1/2 हिस्से 7-7-1992 को तरफी के पिता को बेचान किया। किया रकम रेकर्ड में अमल स्थगित हो गया। कोर्ट के आदेश अनुसार क्रेता के पक्ष दर्ज हो गया। रेकर्ड दुरुस्ती के पक्ष में आवेदन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति तरफीन के पक्ष में बनता है। अतः कुल प्रकरण 172/2025 के विरुद्ध एक अपील संख्या 172 रकबा रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। स्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण लम्बित होने तक के लिए जारी रहेगा।	

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़